(6)
कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या : 593 /शिविर–निर्वा0–2017 दिनांक : 16 जनवरी,2017

कार्यालय–ज्ञाप

जैसा कि आप सब अवगत है कि **दिनांक 23 फरवरी, 2017** को विधानसभा निर्वाचन–2017 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सभी 07 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगें।

इस बार जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है कि जनपद में मतदान के प्रतिशत में **पिछले चुनाव की अपेक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित** हो। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **महिला, दिव्यांग एवं 18 से 19 वर्ष आयु के नवयुवक मतदाताओं की अधिकाधिक प्रतिभागिता** पर बल दिया जा रहा है।

अतः समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरणानुसार अपने कार्यालय/विभाग से जनसामान्य को निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों, बिल, रसीदों आदि अभिलेखों में अनिवार्य रूप से निम्न **मुहर छपवाकर सुगम दर्शित स्थान पर अथवा उसकी पुश्त पर उद्धरित** की जायेगी, जिससे **23 फरवरी, 2017 मतदान दिवस से मतदाताओं में जागरूकता एवं प्रचारित किया जा सके।**

''हम सबने यह ठाना है, 23 फरवरी को मतदान का फर्ज निभाना है।''

टोल फ्री नं0–18001805439

1	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त चिकित्सालय, सीएचसी/पीएचसी आदि	मृत्यु प्रमाण–पत्र, विकलांग प्रमाण–पत्र, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय शुल्क से संबंधित रसीदे व परामर्श लेटर व पर्चे पर
2	प्रभारी, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय	दवा पर्चियों व परीक्षण पर्ची आदि अभिलेखों पर
3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त पशु चिकित्साधिकारी	पशुओं की दवा पर्चियों पर उपरोक्तानुसार मुहर मुद्रित करें।
4	समस्त उपजिलाधिकारी	निवास प्रमाण–पत्र
5	समस्त तहसीलदार	आय,जाति,निवास,उत्तरदाधिकार,कम्पयूटरीकृत खतौनियॉ इत्यादि।
6	ए0आई0जी0 स्टाम्प	विलेख पंजीकरण रसीदों पर
7	मुख्य कोषाधिकारी	स्टाम्प हेतु दी जाने वाली रसीदों आदि पर
8	विद्युत विभाग	विद्युत बिलों पर
9	ए0आर0टी0ओ0	चालान फार्मो व रसीदों आदि पर
10	नगर पालिका/नगरपंचायत	गृहकर,जलकर, तहबाजारी आदि रसीदों पर
11	जिला पंचायत	विभिन्न एन0ओ0सी0 एवं तहबाजारी आदि रसीदों पर
12	जिला पंचायत राज अधिकारी	जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर के उद्धरण पर
13	ए0आर0 कोआपरेटिव	सहकारी समितियों आदि के माध्यम से कृषकों को दी जाने वाली रसीदों पर
14	व्यापार कर अधिकारी	अपने विभाग से दिये जाने वाले मेमो/रसीदों पर
15	डिप्टी आर0एम0ओ0/समस्त धान क्रय एजेन्सियॉ	कृषकों को दी जाने वाली धान क्रय संबंधी रसीदों आदि पर
16	अधीक्षक, कारागार	मुलाकाती पर्चियों पर
17	टी0डी0एम0	टेलीफोन व मोबाइल के पोस्टपोड बिलों व अन्य अभिलेखों पर
18	एल0डी0एम0	बैंक की जमा रसीदों आदि अभिलेखों पर
19	मनोरजंन कर अधिकारी	सिनेमाहाल की पर्चियों व केबल टीवी बिलों पर
20	सचिव मण्डी	मण्डी संबंधी विभिन्न पर्चियों व जन सामान्य को दी जाने वाली रसीदों पर

.....................2

इसके अतिरिक्त **मुख्य खाद्य** सुरक्षा **अधिकारी** से **अपेक्षा की** जाती **है** कि **मिठाई के दुकानों को प्रोत्साहित कर** मिठाई के डिब्बे **व ढाबों आदि** पर उपरोक्तानुसार मुहर **मुद्रित** करवायें।

इसी प्रकार **जिलापूर्ति अधिकारी** को **निर्देशित** किया जाता है कि जनपद के **समस्त पेट्रोल** पम्प मालिकों से **वार्ता करे** कैशमेमो / **केडिट मेमो आदि** पर व उन्हें उपरोक्तानुसार मुहर मुद्रित करवाने हेतु **प्रोत्साहित** करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूंकि प्रकरण निर्वाचन जैसे अतिमहत्वशाली प्रकृति का है, ऐसी दशा में इसमें किसी स्तर पर किसी तरह की शिथिलता एवं अनवधानता कदापि उचित नही होगी।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी / उपजिला निर्वाचन अधिकारी,प्रतापगढ़ को अनुश्रवणार्थ।
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,प्रतापगढ़ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4. प्रभारी / सहायक प्रभारी अधिकारी,स्वीप, विधानसभा सामान्य निर्वाचन—2017
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,प्रतापगढ़ को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संबंधित अधिकारी एवं जिला / तहसील / ब्लाक स्तरीय अधिकारी को अनुपालनार्थ
7. जिला सूचना अधिकारी,प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रतापगढ़।